फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

कैलाश बनाम डाशाराम

किस्म प्रकरण : वाद मुकदमा नं.– 95/2020

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
30/6/20	वकलाय उपा. P/D प्रस्ताव अप्राप्त है इन्तजार हेतु मिसल पेशी 17/8/20 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	
17/8/20	वकलाय उपा. तहसीलदार जायल से P/D प्रस्ताव प्राप्त हुये। P/D पढ़कर सुनाई गई जिसे सही होना वकलाय ने स्वीकार किया तथा माफिक P/D रिपोर्ट वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। चूंकि पत्रावली पर उपलब्ध प्रस्ताव P/D में सहमति है अतः वादीगण के वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल किया गया। जाब्ते की कार्यवाही बाहर से पूर्ण होकर शामिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	[illegible]

Scanned with CamScanner

कार्यालय तहसीलदार (भू०अ०) जायल

क्रमांक/भू०अ०/2021/3228 दिनांक 13-8-2021

प्रेषित :- श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महो०
जायल

16/8/21

विषय :- प्राथमिक डिक्री की पालना/विभाजन प्रस्ताव भेजने बाबत

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक/दिनांक 367/29-06-2021 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग में आपके आदेश के अनुसरण में राजस्व वाद सं. 94/2020 अनुवान कैलाश बनाम आशाराम वगैरह में जारी प्राथमिक डिक्री की पालना/विभाजन प्रस्ताव तैयार होकर इस कार्यालय में जमा हो गया। अतः इस पत्र के संलग्न आपके न्यायालय के रा० वा० सँ० 94/2020 अनुवान कैलाश बनाम आशाराम वगैरह में जारी प्राथमिक डिक्री की पालना/विभाजन प्रस्ताव दो प्रतियों में भेजा जा रहा है, अतः आपके पत्र क्रमांक/दि. 367/29-06-2021 की पालना आगामी उचित कार्यवाही के लिए श्रीमानजी की सेवामें सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू.अ.)
जायल

संलग्न :- रा० वा० सं. 94/2020 का विभाजन प्रस्ताव दो प्रतियों में।

Scanned with CamScanner

मौका फर्द प्राथमिक डिक्री

11-8-21

आज दिनांक 09-08-2021 को माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय जायल के राजस्व वाद सं. 94/2020 अनुवान कैलाश बनाम आशाराम वगैरह में प्राथमिक डिक्री जारी दिनांक 29-06-2021 तथा श्रीमान तहसीलदार साहब जायल के आदेश क्रमांक/भू०अ०/प्राथमिक डिक्री/2021/2417 दिनांक 08-07-2021 की पालना में ग्राम देहरी के खसरा नं० 112 रकबा 2.3795 हे० किस्म बा.3 खसरा नं० 116 रकबा 3.2537 हे० किस्म बा.2 ख०नं० 1192/112 रकबा 0.0081 हे० किस्म गैं.मु. रास्ता खसरा नं० 122 रकबा 3.2941 हे० किस्म बा.2 खसरा नं० 314 रकबा 2.0477 हे० किस्म बा.2 खसरा नं० 315 रकबा 0.6475 हे० किस्म बा.2 खसरा नं० 363/822 रकबा 0.0809 किस्म गैं.मु. बाड़ा (अब्दुल रहमान प्रकरण से संबंधित) ख०नं० 590 रकबा 1.7159 हे० किस्म बा.3 ख०नं० 591 रकबा 1.6997 हे० किस्म बा.3 ख०नं० 595 रकबा 2.6224 हे० किस्म बा.3 भूमि का मौका निरिक्षण किया गया पूर्व मे जारी नोटिस अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में निम्नानुसार कब्जा काश्त अनुसार प्राथमिक डिक्री रिपोर्ट तैयार की गई। ग्राम देहरी के खसरा नं० 112 रकबा ~~रकबा~~ 2.3795 हे० किस्म बा.3 खसरा नं० 1192/112 रकबा 0.0081 हे० किस्म गैं.मु. रास्ता ख०नं० 314 रकबा 2.0477 हे० किस्म बा.2 ख०नं० 116 रकबा 3.2537 किस्म बा.2 ख०नं० 122 रकबा 3.2941 हे० किस्म बा.2 ख०नं० 315 रकबा 0.6475 हे० किस्म बा.2 ख०नं० 363/822 ~~कि~~ रकबा 0.0809 हे० किस्म गैं.मु. बाड़ा (अब्दुल रहमान प्रकरण से सम्बन्धित) खसरा नं० 590 रकबा 1.7159 हे० किस्म बा.3 खसरा नं० 591 रकबा 1.6997 हे० किस्म बा.3 ख०नं० 595 रकबा 2.6224 किस्म बा.3 जो कि खातेदार आशाराम पुत्र भगवाना राम जाति जाट निवासी देहरी के नाम खातेदारी दर्ज है। रहिन ख०नं० 112, 314, 315, 595 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा कसनाऊ के नाम दर्ज है।

मौके पर निम्नलिखित रूप से कब्जा काश्त पाया गया।

1. आशाराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहिन SBI शाखा कसना. (ख०नं० 112, 314, 595)
   खसरा संख्या 112 रकबा 2.3795 हे० किस्म बारानी-3
   खसरा संख्या 1192/112 रकबा 0.0081 हे० किस्म गैं.मु. रास्ता
   खसरा संख्या 314 रकबा 2.0477 हे० किस्म बारानी-2
   खसरा संख्या 595 रकबा 2.6224 हे० किस्म बारानी-3
2. कैलाश पुत्र आशाराम जाति जाट सा० देह खातेदार
   खसरा नं० 122 रकबा 3.2941 हे० किस्म बारानी-2
   खसरा नं० 591 रकबा 1.6997 हे० किस्म बारानी-3
3. सुरेश पुत्र आशाराम जाति जाट सा० देह खातेदार
   खसरा नं० 116 रकबा 3.2537 हे० किस्म बारानी-2
   खसरा नं० 590 रकबा 1.7159 हे० किस्म बारानी-3

P.T.O.

Scanned with CamScanner

④ कैलाश पुत्र आशाराम जाति जाट सा. देह खातेदार
सुरेश पुत्र आशाराम जाति जाट सा० देह खातेदार
आशाराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट सा० देह खातेदार
सुमित्रा पुत्री आशाराम जाति जाट सा० देह खातेदार
ललिता पुत्री आशाराम जाति जाट सा० देह खातेदार
नगीना पुत्री आशाराम जाति जाट सा० देह खातेदार
खसरा सं० 363/832 रकबा 0.0809 है० किस्म गै.मु. बाड़ा (अब्दुल रहमान प्रकरण से सम्बन्धित)
ख०नं० 315 रकबा 0.6475 है० किस्म बारानी-2 रहिन SBI शाखा कसनाऊ

मौका फर्द मौके पर तैयार कर पढ़कर सुनाई गई व उपस्थित के हस्ताक्षर करवाये गये।

हुक्माराम
पटवारी ढेहरू
तह. जायल
दिनांक 9/8/2021

9.08.2021
भंवरलाल फरड़ोदा
निरीक्षक (भू.अ.) वृत तरनाऊ
तहसील जायल (नागौर)

आशाराम

Kailash
सुमन
सुरेश
ललिता
नगीना

तहसीलदार (भू.अ.)
जायल

Scanned with CamScanner

नजरी नक्शा
मौजा - देहरी
ग्रा०पं० देहरी
तहसील - जायल (नागौर)

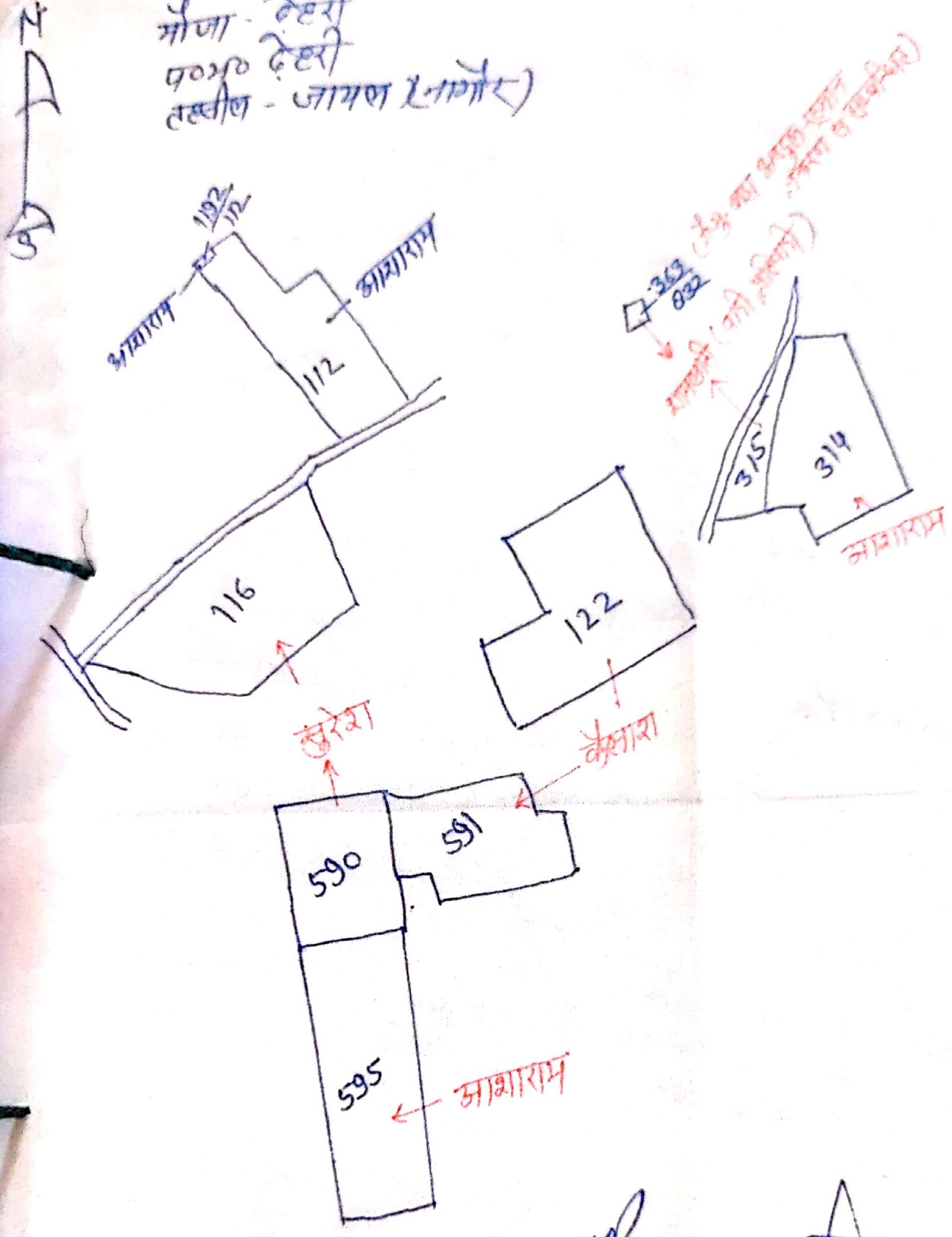

Kailash
सुमन
सुरेश
ललिता
नगीना

हुकमाराम
पटवारी देहरी
दिनांक 9/8/2021

9-08-2021
भंवरलाल फरड़ोदा
निरीक्षक (भू.अ.) वृत तरनाऊ
तहसील जायल (नागौर)

तहसीलदार (भू.अ.)
जायल

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल
जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 94/2020

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. कैलाश पुत्र आशाराम 2. सुरेश पुत्र आशाराम जातियान जाट निवासीगण–ढेहरी तहसील–जायल, जिला–नागौर		1. आशाराम पुत्र भुगानाराम 2. सुमित्रा पुत्री आशाराम 3. ललिता पुत्री आशाराम 4. नगीना पुत्री आशाराम जातियान जाट निवासीगण–ढेहरी तहसील–जायल, जिला–नागौर 5. सरकार जरिये तहसीलदार, जायल

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :–

1. वादीगण की ओर से श्री हनुमानराम मंडा एडवोकेट
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से श्री मुन्नीलाल कड़वासरा एडवोकेट।
3. प्रतिवादी संख्या 5 तहसीलदार जायल राजपेरोकार उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 17/8/2024

वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया है। संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम ढेहरी तहसील जायल की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 112 रकबा 2.3795 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 116 रकबा 3.2537 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1192/112 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 122 रकबा 3.2941 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 314 रकबा 2.0477, खसरा नम्बर 315 रकबा 0.6475 हैक्टेयर , खेत खसरा नंबर 363/822 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 590 रकबा 1.7159 हैक्टेयर, खसरा नंबर 591 रकबा 1.6997 हैक्टेयर व खेत खसरा नंबर 595 रकबा 2.6224 हैक्टेयर कुल खसरा 10 आई हुई है। जिसका इन्द्राज राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 में दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा सम्वत 2072 को वाद पत्र के पैरा संख्या 2 (क व घ) के अनुसार आखातीज को कर सिंव–नींव अलग–अलग कर ली। जो निम्न प्रकार से है। वादी संख्या 1 कैलाश के हक बंट में मौजा ढेहरी के खेत खसरा नंबर 591 रकबा 1.6997 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 122 रकबा 3.2941 हैक्टेयर रखे गये हैं। वादी संख्या 2 सुरेश के हक बंट में मौजा ढेहरी का खेत खसरा नंबर 590 रकबा 1.7159 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 116 रकबा 3.2537 हैक्टेयर रखे गये हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व वादी संख्या 1 से 2 के शामलाती हक बंट में खेत खसरा नंबर 363/822 रकबा 0.0809 हैक्टेयर गैर मुमकिन बाड़ा, खसरा नंबर 315 रकबा 0.6475 हैक्टेयर भूमि रखी गयी है। तथा शेष खेताय यथावत रखे गये हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नवशा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

17/8/2024
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने दिनांक 07.09.2020 को उपस्थित न्यायालय होकर ईकबाली जबाब पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री हनुमानराम मण्डा ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की पहचान अधिवक्ता श्री मुन्नीलाल कडवासरा ने की। ईकबाली जबाब शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 5 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबाली जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 5 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाधकबिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह आशाराम पुत्र भुगानाराम जाति जाट निवासी ढेहरी, कैलाश पुत्र आशाराम , सुरेश पुत्र आशाराम के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम ढेहरी तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 21 प्रदर्श–1 नकल, बैंक के रहन मुक्ति का प्रमाण पत्र पेश किये गए । अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा पत्रावली में जरिये ईकबाली जबाब वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वादपत्र को माफीक ईकबाली जबाब में वर्णित पैराज माफिक स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 के हक बंट की भूमि का जरिये ईकबाली जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 07.09.2020 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जबाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है जो कि संयोजित किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 07.09.2020 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक नजरी नक्शानुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

प्रकरण हाजा में मौजा ढेहरी के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा वादी संख्या 1 कैलाश के हक बंट में मौजा ढेहरी के खेत खसरा नंबर 591 रकबा

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

1.6997 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 122 रकबा 3.2941 हैक्टेयर रखे गये हैं। वादी संख्या 2 सुरेश के हक बंट में मौजा ढेहरी का खेत खसरा नंबर 590 रकबा 1.7159 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 116 रकबा 3.2537 हैक्टेयर रखे गये हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व वादी संख्या 1 से 2 के शामलाती हक बंट में खेत खसरा नंबर 363/822 रकबा 0.0809 हैक्टेयर गैर मुमकिन बाड़ा **(अब्दूल रहमान से प्रकरण से संबंधित)**, खसरा नंबर 315 रकबा 0.6475 हैक्टेयर भूमि का माफिक ईकबाली जवाब अनुसार मीट्स एण्ड बाउन्ड्स बंटवाड़ा चाहे जाने से हम वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 15.06.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 15.06.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 3228 दिनांक 13.08.2021 को प्राप्त हुआ, जिस पर वकुलाय को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादीगण व प्रतिवादी कैलाश, सुरेश, आशाराम, सुमन, ललिता ,नगीना ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि पटवार हल्का की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। खेत खसरा नंबर **363/822** गैर मुमकिन बाड़ा **(अब्दूल रहमान से प्रकरण से संबंधित प्रभावित है इसलिये इसको यथावत स्थिति में रखते हुवे शेष** मौजा ढेहरी तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 591, 122, 590, 112, 116, 1192/112 ,314 , 315, 595 में वादी संख्या 1 व 2 को प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा ढेहरी तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 591, 122 ,590, 112, 116, 1192/112, 314, 315, 595 में वादी संख्या 1 व 2 को प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 3228 दिनांक 13.08.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाता है, तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 कैलाश के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा ढेहरी के खेत खसरा नंबर 591 रकबा 1.6997 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खेत खसरा नंबर 122 रकबा 3.2941 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखे जाकर खातेदार घोषित किया जाता हैं।
2. वादी संख्या 2 सुरेश के हक बंट में मौजा ढेहरी का खेत खसरा नंबर 590 रकबा 1.7159 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खेत खसरा नंबर 116 रकबा 3.2537 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता हैं।
3. मौजा ढेहरी के खेत खसरा नंबर **363/822** गैर मुमकिन बाड़ा **(अब्दूल रहमान से प्रकरण से प्रभावित है) को छोड़कर** शेष खेताय यथावत वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में रखे जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 17/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), जायल

17/10/2024

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

वादी:
1. कैलाश पुत्र आशाराम
2. सुरेश पुत्र आशाराम
जातियान जाट निवासीगण–ढेहरी
तहसील–जायल, जिला–नागौर

प्रतिवादीगण:
1. आशाराम पुत्र भुगानाराम
2. सुमित्रा पुत्री आशाराम
3. ललिता पुत्री आशाराम
4. नगीना पुत्री आशाराम
जातियान जाट निवासीगण–ढेहरी
तहसील–जायल, जिला–नागौर
5. सरकार जरिये तहसीलदार, जायल

उपस्थिति :–

1. वादीगण की ओर से श्री हनुमानराम मंडा एडवोकेट
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से श्री मुन्नीलाल कड़वासरा एडवोकेट
3. प्रतिवादी संख्या 5 तहसीलदार जायल राजपेरोकार उपस्थित।

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री हनुमानराम मण्डा अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 4 हाजरी श्री मुन्नीलाल कड़वासरा प्रतिवादी संख्या 5 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा ढेहरी तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 591, 122 ,590, 112, 116, 1192/112, 314, 315, 595 में वादी संख्या 1 व 2 को प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 3228 दिनांक 13.08.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाता है, तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 कैलाश के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा ढेहरी के खेत खसरा नंबर 591 रकबा 1.6997 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खेत खसरा नंबर 122 रकबा 3.2941 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखे जाकर खातेदार घोषित किया जाता हैं।
2. वादी संख्या 2 सुरेश के हक बंट में मौजा ढेहरी का खेत खसरा नंबर 590 रकबा 1.7159 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खेत खसरा नंबर 116 रकबा 3.2537 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता हैं।
3. मौजा ढेहरी के खेत खसरा नंबर **363/822** गैर मुमकिन बाड़ा **(अब्दूल रहमान से प्रकरण से प्रभावित है) को छोड़कर** शेष खेताय यथावत वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में रखे जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते हैं।

17/8/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

Scanned with CamScanner

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ....17/8/2021...... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

17/8/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner